UPAD010046232026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–22, प्रयागराज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1762/2026

मो0 शाकिब पुत्र मुईनुद्दीन निवासी ग्राम मुबारकपुर उपरहार, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज ।

.....आवेदक/**अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर–प्रदेश सरकार .....अभियोजन **पक्ष।**

आवेदक/अभियुक्त मो0 शाकिब की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र मु0अ0सं0–31/2026, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वादी मुकदमा मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व शांति व्यवस्था हेतु दहियांवा बाजार पर मौजूद था कि डायल 112 की सूचना जरिये मोबाइल मिली कि एक वाहन संख्या यू0पी0 25 डी टी 7001 डीसीएम लाल रंग की पश्चिमनारा नहर पुलिया पर घुमाने के दौरान फंस गयी है। जिसमें गोवंश लादकर काटने के लिये ले जा रहे हैं। गाड़ी फंसने के कारण ड्राइवर व उसके साथ गाड़ी छोड़कर भाग गये हैं। वादी मुकदमा मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के मौके पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं है तथा पीछे बंधी तिरपाल को हटाया गया तो डाला में 19 राशि गौवंश जिंदा व मृत पड़े हुये हैं, जिनको रस्सियों से पैर मुंह बंधे हुये हैं। गांव वालों की मदद से बंधे गौवंशों को दराती व चाकू की मदद से रस्सियों को काटकर बाहर निकाला गया, जिसमें 12 राशि जिंदा गौवंश तथा 07 मृत गौवंश उतारे गये। मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर बरामद वाहन संख्या यू0पी0 25 डी टी 7001

को ई चालान एप पर देखा गया तो चेचिस नं0 MAT508217K7H16871 व इंजन नं0 497TC41HPY827402 तथा वाहन स्वामी का नाम संजीव कुमार पुत्र राम लाल निवासी ग्राम कल्याणपुर राठ जनपद बरेली के नाम से दर्ज है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी निर्दोष हैं तथा मुकदमा उपरोक्त में झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त वाहन संख्या यू0पी070 बी जेड 8904 का स्वामी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 को रात्रि लगभग समय 9–9.30 बजे सिविल लाइन्स बस अड्डा, प्रयागराज से बनारस तक का सवारियों का भाड़ा लेकर गया था कि बनारस अड्डा के नजदीक चार से पांच अज्ञात शस्त्रधारी व्यक्ति सादे ड्रेस में जो अपने आपको एस0ओ0जी0/क्राइम ब्रांच गंगानगर टीम बताते हुये जबरन बन्दूक के दम पर प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वाहन से उतारकर अपने साथ प्रार्थी को बिना नम्बर प्लेट की चार पहिया वाहन से जबरन लेकर चले गये। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार वालों को उपरोक्त गिरफ्तारी की सूचना थाना होलागढ़ की पुलिस द्वारा दिनांक 20.04.2026 को दी गयी और उपरोक्त मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसाकर चलान कर दिये। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक घटना दिनांक 10.04.26 समय 00.00 बजे की बतायी जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट समय 19.10 बजे की बतायी जाती है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथाकथित बरामदगी झूंठी एवं फर्जी है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो विचाराधीन है न खारिज हुआ है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) ने जमानत का प्रबल विरोध करते हुये अपराध गंभीर प्रकृति के होने का कथन किया है। अतः उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त का यह

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, किन्तु सहअभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। फर्द बरामदगी दिनांकित 10.04.2026 के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण द्वारा वाहन संख्या यू0पी025 डी टी 7001 डीसीएम लाल रंग में लदे हुये 12 राशि जिंदा गौवंश तथा 07 मृत गौवंश जिनको रस्सियों से पैर मुंह बंधे हुये थे, गांव वालों की मदद् से बंधे गौवंशों को दराती व चाकू की मदद से रस्सियों को काटकर बाहर निकाला गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त गौवंश लदे वाहन को पास कराये जाने का काम किया जाना परिलक्षित होता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित है। **अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण** तथ्य व परिस्थितियों, पीड़ित की उम्र, अपराध की प्रकृति दण्ड की मात्रा, संकलित साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना न्यायालय के विचार से अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतएव जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मो0 शाकिब की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–02.05.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–22,प्रयागराज।